



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275886
CG-DL-E-01092026-275886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4627]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948

No. 4627]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4814(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में कि.मी. 37.623 पर राष्ट्रीय राजमार्ग-216H के अंतर्गत बुडामेरु ड्रेन पर दोनों ओर के पहुँच मार्गों सहित प्रमुख पुल का निर्माण तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉयंट कलेक्टर, कृष्णा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई

हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में कि.मी. 37.623 पर राष्ट्रीय राजमार्ग-216H के अंतर्गत बुडामेरु ड्रेन पर दोनों ओर के पहुँच मार्गों सहित प्रमुख पुल का निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: कृष्णा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नदीवाड़ा					
गांव का नाम: नंदीवाड़ा					
1	26	सरकारी	(रोड)	0.8061 (हेक्टेयर)	0.8061
2	27	निजी	(वेट)	0.2119 (हेक्टेयर)	0.2119
गांव का नाम: पुत्तागुन्टा					
3	101	निजी	(ड्राई)	0.1543 (हेक्टेयर)	0.1543
4	104	सरकारी	(गायलु)	0.1156 (हेक्टेयर)	0.1156
5	105	सरकारी	(चेरुवु)	0.511 (हेक्टेयर)	0.511
6	106	सरकारी	(रोड)	0.6151 (हेक्टेयर)	0.6151
7	107	सरकारी	(रोड)	0.6151 (हेक्टेयर)	0.6151
8	108	सरकारी	(रोड)	0.8741 (हेक्टेयर)	0.8741
9	109	सरकारी	(रोड)	1.3759 (हेक्टेयर)	1.3759
10	110	सरकारी	(रोड)	0.9024 (हेक्टेयर)	0.9024
11	111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6	सामान्य	(ड्राई, रोड & कलुवा मार्जिन, गायलु)	0.0976 (हेक्टेयर)	0.0976

12	121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5	सामान्य	(ड्राई, रोड, वरदा गट्टू, बुडमेरु, गायलु)	0.1255 (हेक्टेयर)	0.1255
13	122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7	सामान्य	(ड्राई, मट्टी रोड, वरदागात्तु, मुरुगु कलुवा)	0.275 (हेक्टेयर)	0.275
14	123	सरकारी	(रोड)	0.9227 (हेक्टेयर)	0.9227
15	124	सरकारी	(रोड)	1.0643 (हेक्टेयर)	1.0643
16	125	निजी	(ड्राई)	0.5302 (हेक्टेयर)	0.5302
17	132	सरकारी	(बुडमेरु)	0.0987 (हेक्टेयर)	0.0987
18	133	सरकारी	(मुरुगु कलुवा)	1.3274 (हेक्टेयर)	1.3274
19	175	सरकारी	(कलुवा)	0.2424 (हेक्टेयर)	0.2424
20	177	सरकारी	(ग्रामकंट्रम)	0.4292 (हेक्टेयर)	0.4292
21	201	सरकारी	(पोरंबोकु)	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
22	202/1, 202/3A2, 202/3B, 202/5A, 202/6A1	सामान्य	(ड्राई, बुडामेरु, वरदकट्टा)	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
23	227/1, 227/2	सामान्य	(मुरुगु कलुवा, ड्राई)	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
24	33	सरकारी	(रोड)	0.2759 (हेक्टेयर)	0.2759
25	34	निजी	(वेट)	0.1883 (हेक्टेयर)	0.1883
26	80/1, 80/2, 80/3	सामान्य	(ड्राई, रोड, वरदा गट्टू)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
27	81/1, 81/2, 81/3	सामान्य	(ड्राई, मट्टी रोड, कलुवा)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
28	84/1, 84/2	सामान्य	(ड्राई, कलुवा)	0.1744 (हेक्टेयर)	0.1744
29	85/1, 85/2	सामान्य	(ड्राई, कलुवा)	0.2548 (हेक्टेयर)	0.2548
30	88/1, 88/2	सामान्य	(ड्राई, कलुवा)	0.1986 (हेक्टेयर)	0.1986
31	89/1, 89/2	सामान्य	(ड्राई, कलुवा)	0.2042 (हेक्टेयर)	0.2042
32	92/1, 92/2, 92/3, 92/4	सामान्य	(ड्राई, कलुवा)	0.2244 (हेक्टेयर)	0.2244

33	93/1, 93/2	सामान्य	(ड्राई, कलुवा)	0.0873 (हेक्टेयर)	0.0873
34	96/1, 96/2, 96/3	सामान्य	(ड्राई, कलुवा)	0.1913 (हेक्टेयर)	0.1913
35	97/1, 97/2, 97/3, 97/4	सामान्य	(ड्राई, कलुवा)	0.1925 (हेक्टेयर)	0.1925
36	99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5	सामान्य	(ड्राई, कलुवा)	0.2715 (हेक्टेयर)	0.2715
Total					13.6427

[फा. सं. MORTH/PIU/MTM/NH-216H/PMC/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2026

S.O. 4814(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Construction of Major Bridge along with its approaches on either side across Budameru Drain at Km 37.623 on NH-216H in the district of KRISHNA in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector, Krishna in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for Construction of Major Bridge along with its approaches on either side across Budameru Drain at Km 37.623 on NH-216H in the district of KRISHNA in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: KRISHNA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nativada					
Village: Nandivada					
1	26	Government	(Road)	0.8061 (Hectare)	0.8061
2	27	Private	(wet)	0.2119 (Hectare)	0.2119

Village: Puttagunta					
3	101	Private	(Dry)	0.1543 (Hectare)	0.1543
4	104	Government	(Gayallu)	0.1156 (Hectare)	0.1156
5	105	Government	(Cheruvu)	0.511 (Hectare)	0.511
6	106	Government	(Road)	0.6151 (Hectare)	0.6151
7	107	Government	(Road)	0.6151 (Hectare)	0.6151
8	108	Government	(Road)	0.8741 (Hectare)	0.8741
9	109	Government	(Road)	1.3759 (Hectare)	1.3759
10	110	Government	(Road)	0.9024 (Hectare)	0.9024
11	111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6	Common	(Dry, Road & Kaluva Margin, Gayalu)	0.0976 (Hectare)	0.0976
12	121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5	Common	(Dry, Road, Varada Gattu, Budameru, Gayallu)	0.1255 (Hectare)	0.1255
13	122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7	Common	(Dry, Matti Road, Varadagattu, Murugu kaluva)	0.275 (Hectare)	0.275
14	123	Government	(Road)	0.9227 (Hectare)	0.9227
15	124	Government	(Road)	1.0643 (Hectare)	1.0643
16	125	Private	(Dry)	0.5302 (Hectare)	0.5302
17	132	Government	(Budameru)	0.0987 (Hectare)	0.0987
18	133	Government	(Murugu Kaluva)	1.3274 (Hectare)	1.3274
19	175	Government	(Kaluva)	0.2424 (Hectare)	0.2424
20	177	Government	(Gramakantam)	0.4292 (Hectare)	0.4292
21	201	Government	(Poramboku)	0.025 (Hectare)	0.025
22	202/1, 202/3A2, 202/3B, 202/5A, 202/6A1	Common	(Dry, Budameru, Varadakatta)	0.025 (Hectare)	0.025
23	227/1, 227/2	Common	(Murugu Kaluva, Dry)	0.015 (Hectare)	0.015
24	33	Government	(Road)	0.2759 (Hectare)	0.2759
25	34	Private	(Wet)	0.1883 (Hectare)	0.1883
26	80/1, 80/2, 80/3	Common	(Dry, Road, Varada gattu)	0.01 (Hectare)	0.01

27	81/1, 81/2, 81/3	Common	(Dry, Matti Road, Kaluva)	0.01 (Hectare)	0.01
28	84/1, 84/2	Common	(Dry, Kaluva)	0.1744 (Hectare)	0.1744
29	85/1, 85/2	Common	(Dry, Kaluva)	0.2548 (Hectare)	0.2548
30	88/1, 88/2	Common	(Dry, Kaluva)	0.1986 (Hectare)	0.1986
31	89/1, 89/2	Common	(Dry, Kaluva)	0.2042 (Hectare)	0.2042
32	92/1, 92/2, 92/3, 92/4	Common	(Dry, Kaluva)	0.2244 (Hectare)	0.2244
33	93/1, 93/2	Common	(Dry, Kaluva)	0.0873 (Hectare)	0.0873
34	96/1, 96/2, 96/3	Common	(Dry ,Kaluva)	0.1913 (Hectare)	0.1913
35	97/1, 97/2, 97/3, 97/4	Common	(Dry, Kaluva)	0.1925 (Hectare)	0.1925
36	99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5	Common	(Dry ,Kaluva)	0.2715 (Hectare)	0.2715
Total					13.6427

[F. No. MORTH/PIU/MTM/NH-216H/PMC/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director